



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082021-228806
CG-DL-E-06082021-228806

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2021/श्रावण 15, 1943

No. 219]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2021/SHRAVANA 15, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2021

सं. 20/2015-2020

विषय: प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2015-20 के पैरा 4.82, 4.83, 4.84 में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/152/एम 20/पीसी-4.—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार जनहित में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

1. प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.85 क के पश्चात् निम्नलिखित पैरा '4.85 ख' जोड़ा जाता है:

***4.85 ख**

उन मामलों के लिए, जहां प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.82, 4.83, 4.84 की विभिन्न उप-पैराओं के तहत यथा परिकल्पित बहुमूल्य धातु के निर्यात/पुनःपूर्ति/आयात/निकासी के लिए अंतिम तारीख 01.02.2021 और 30.06.2021 के बीच समाप्त हो गई है, ऐसी अंतिम तारीख को छह माह के लिए बढ़ाया जाता है। तथापि, स्वदेश भेजने/विदेशी

मुद्रा वसूली के लिए अवधि में छूट यथा अनुमत अवधि जोड़ छह माह अथवा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, जो भी कम हो, के बराबर होगी।”

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: कोविड-19 की स्थिति के कारण व्यापार जगत द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों को देखते हुए विशुद्ध रूप से एककालिक अस्थायी उपाय के तौर पर प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.82, 4.83, 4.84 में संशोधन किए गए हैं।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th August, 2021

No. 20 /2015-20

Subject : Amendment in Paras 4.82, 4.83, 4.84 of Hand Book of Procedure (HBP) 2015-20

F. No. 01/94/180/152/AM20/PC-4.—In exercise of powers conferred under para 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Directorate General of Foreign Trade, in public interest, makes the following amendment :

1. The following Para ‘4.85B’ is added after Para 4.85 A of HBP 2015-20:

“4.85 B

For those cases, where the last date for exports/replenishment/imports/drawal of precious metal as calculated under various sub paras of Paras 4.82, 4.83, 4.84 of Handbook of Procedure, 2015-20 expires between 01.02.2021 and 30.06.2021, such last date stands extended by six months. However, relaxation in the period for repatriation/forex realisation would be equal to the period as allowed plus six months or as per RBI guidelines, whichever is less.”

Effect of this Public Notice: . Amendments are made in Para 4.82, 4.83, 4.84 of Hand Book of Procedure 2015-20 purely as a onetime temporary measure in view of difficulties expressed by the trade due to COVID -19 situation.

AMIT YADAV, Dir. Genl. of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.